दिनांक 24/5/23 को पेश हो।

24/5/23 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार अधिकारी महोदय दौरे पर हैं। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 31-7-23 को पेश हो।

3+

मान्यवर आपकी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिल्कुल सही स्वीकार किये जाने योग्य है। परन्तु आपकी अधिवक्ता ने विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र में संबंधित भूमि का क्षेत्रफल निर्धारित होना बताया है। प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र में भूमि का सही स्थान जाति थाना आदि पत्रावली प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया। प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधित भूमि क्षेत्र निर्धारण हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] संबंधित है व संबंधित पक्षकार हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:49:52 IST
Reason: SelfAttested

7/7/23